राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1354/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–I, जोन–II, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी,
पावटा, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
राजकीय उप अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री आर.एन.गर्ग,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 20.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 113/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/डी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.1998 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति 38,787/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.10.1998 को पावटा से जयपुर जा रहे वाहन संख्या आरजे–14–डी–3724 को चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में लदे माल के संबंध में दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक द्वारा मैसर्स चौधरी गुड्स कैरियर पावटा की जीआर संख्या 935 दिनांक 30.09.1998 एवं बिल संख्या 933 दिनांक 30.09.1998 जिसमें माल 105 सरसों बोरी मैसर्स सिक्को प्रा.लि. दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर को भेजा जाना बताया गया है। उक्त दस्तावेजों की जांच पर बिल संदेहास्पद प्रतीत होने पर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को बिल सत्यापन हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष बिल बुक प्रस्तुत की गयी। बिल बुक में उपलब्ध काउंटर प्रति एवं वक्त चैकिंग वाहन के साथ पाये गये बिल में कुछ impressions के अंतर पाये जाने पर सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा काउंटर प्रति के पकडे जाने के बाद तैयार किया जाना माना है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन किया जाना मानकर धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 38,787/– आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2010 द्वारा

लगातार.....2

प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि बिल बुक में उपलब्ध काउंटर प्रति एवं वक्त चैकिंग वाहन के साथ पाये गये बिल में कुछ impressions का अंतर पाया गया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बिल बुक में पाया गया बिल बाद की सोच है। उन्होने आगे अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा बिल में अंतर होने का जो कारण बताया गया है उसका कोई आधार नहीं होने के कारण वह अनुचित है। उन्होने बताया कि सशक्त अधिकारी द्वारा बिल की सत्यता की जांच नहीं की और बिना जांच किये ही बिल को मिथ्या साबित कर दिया, जो अविधिक है। इस संबंध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपील की सुनवायी के दौरान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मोलूका साबुन उद्योग, हनुमानगढ जंक्शन निर्णय दिनांक 29.11.2007, (2008) 20 TUD 87 एवं (2009) 23 TUD 129 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रत्यर्थी का प्रकरण इन निर्णयों से पूर्णतया आच्छादित होने के कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जावें।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकारी ने बिल बुक में उपलब्ध काउंटर प्रति एवं वक्त चैकिंग वाहन के साथ पाये गये बिल में कुछ impressions के अंतर पाये जाने के कारण बिल को संदेहास्पद माना है। अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने का आधार अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के अन्तर्गत निर्धारित दस्तावेज पेश नहीं करने अथवा असत्य दस्तावेज पेश करने के कारण शास्ति का प्रावधान है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में बिल में कुछ impressions के अन्तर पर शास्ति आरोपित की है। प्रस्तुत प्रकरण कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मोलूका साबुन उद्योग, हनुमानगढ जंक्शन निर्णय दिनांक 29.11.2007, (2008) 20 TUD 87 एवं (2009) 23 TUD 129 निर्णयों से आच्छादित है। सशक्त अधिकारी द्वारा बिल को किसी भी प्रकार से असत्य साबित नहीं किया है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2010 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं हैं।

5. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2010 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष